अति महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता

पत्रसंख्या//स्था-5ख-दिव्यांग लिपिक पदोन्नति-2016-17// 858 // वाणिज्य कर

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित)

लखनऊ // दिनॉक // मई 16, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

विषय ::लिपिकीय संवर्ग के कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों की संकलित सूचना प्रेषण हेतु।

अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-707/11-3-2017-14/17 दिनांक 02-05-17 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियों के प्रकृम पर विकलांगों को आरक्षण अनुमन्य कराये जाने के संबंध में वाणिज्य कर विभाग में कनिष्ठ लिपिक के 80 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों पर विकलांगजन को सीधी भर्ती में अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, शेष 20 प्रतिशत पद, जो समूह "घ" के कार्मिकों की पदोन्नति से भरे जाते है, उन पदों पर विकलांगजन को आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा। लिपिक संवर्ग के शेष पद शत-प्रतिशत पदोन्नति के पद हैं। अत: यदि उक्त पद विकलांगजन हेतु चिन्हित हैं, तो उक्त पदों पर पदोन्नति में विकलांगजन को अनुमन्य 03 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

शासनादेश संख्या-7/18/1/2008/का-2/2015 दिनांक 28-07-15 सपठित शासनादेश दिनांक 03-02-2008 के प्राविधानान्तर्गत 03 प्रतिशत रिक्तियॉ विकलांगता से ग्रसित कार्मिकों के लिये आरक्षित रखी जायेंगी, जिसमें से 01-01 प्रतिशत रिक्तियॉ (1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (2) श्रवण ह्रास और (3) चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रसित व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगी।

उपर्युक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक-5992 दिनांक 22-02-2017 द्वारा लिपिक संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिकों में से उपरोक्त तीनों श्रेणी के विकलांग कार्मिकों की सम्पूर्ण जोन स्तर की संकलित सूचना निर्धारित प्रारुप में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी जिसके क्रम में दिव्यांग श्रेणी के प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिकों की जोनल स्तर से उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर मुख्यालय के आदेश संख्या-748 दिनांक 11-05-2017 द्वारा दिव्यांग श्रेणी के 05 प्रधान सहायकों को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चयन वर्ष 2016-17 के लिये अस्थाई रुप से पदोन्नति शासन स्तर से दिव्यांग कार्मिकों के लिये श्रेणीवार चिन्हीकरण / आरक्षण की प्राप्त होने वाली अनुमति के अधीन प्रदान की जा चुकी है। इसी प्रकार वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक तथा कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर भी दिव्यांग श्रेणी के कार्मिकों को शासन स्तर से दिव्यांग कार्मिकों के लिये श्रेणीवार चिन्हीकरण की अनुमति प्राप्त होने के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जानी है।

अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने जोन में लिपिक संवर्ग के वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिकों में से उपरोक्त तीनों श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों की सम्पूर्ण जोन स्तर की संकलित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारुप में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008 दिनांक 03-02-2008 के साथ संलग्न प्राविधान एवं दिशा-निर्देश के बिन्दु-9 के अनुसार कम से कम तीन सदस्यीय सक्षम चिकित्सा परिषद द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र सहित प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

उपरोक्त सूचना के साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य है कि जोन के अन्तर्गत उक्त पदों पर कार्यरत विकलांग श्रेणी के अन्य किसी कार्मिक के सम्बन्ध में सूचना भिजवाया जाना शेष नहीं है। जहॉ एक ही जनपद में एक से अधिक जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 तैनात है, वहां जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, प्रथम के स्तर से जोन प्रथम एवं जोन द्वितीय की संकलित सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नक// निर्धारित प्रारुप।

(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

DC(IT) 16/5/17

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि :-

1- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को उपरोक्त की एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

2- समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / असिस्टेन्ट कमिश्नर (ए), वाणिज्य कर, उ0प्र0 को इस आशय से कि उपरोक्त वांछित सूचना कृपया तत्काल उपरोक्तानुसार जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर को सीधे भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि उनके स्तर से संकलित सूचना मुख्यालय को निर्धारित समयावधि में प्रेषित की जा सके।

3- पटल प्रभारी स्था-5(क) को तद्नुसार अनुपालनार्थ।

संलग्नक//निर्धारित प्रारुप

16.05.17

(वीरेन्द्र नारायण वर्मा)
डिप्टी कमिश्नर(स्था0 अराज0)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>प्रारूप</u>

वाणिज्य कर विभाग में लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक तथा प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत (1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (2) श्रवण ह्रास और (3) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) श्रेणी की विकलांगता से ग्रसित कार्मिकों की जोन स्तर की संकलित सूचना

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम / पिता का नाम	पद नाम / वेतन बैण्ड / ग्रेड वेतन	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	विकलांगता की श्रेणी			सक्षम चिकित्सा परिषद द्वारा जारी प्रमाण पत्र	सेवाभिलेखों में सत्यापित है अथवा नहीं	नियुक्ति विकलांगता की आरक्षित श्रेणी में की गई है अथवा नहीं।
				दृष्टिहीनता या कम दृष्टि	श्रवण ह्रास	चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज)			

हस्ताक्षर-सक्षम प्राधिकारी

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि जोन के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग में कार्यरत उपरोक्त कार्मिकों के अतिरिक्त विकलांग श्रेणी के अन्य किसी कार्मिक के सम्बन्ध में सूचना भिजवाया जाना शेष नहीं है।

हस्ताक्षर-सक्षम प्राधिकारी